

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मंदसौर (म.प्र.)

..... द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना.....

क्रमांक :- 2494 / 2026

मंदसौर, दिनांक 25.08.2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालयों के उपयोग हेतु नवीन एयर कूलर क्रय किए जाने हेतु पूर्व में आमंत्रित ई-निविदा में केवल एक निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त की गयी है। अतः नवीन एयर कूलर क्रय किए जाने हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्म/आपूर्तिकर्ताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज एवं निविदा के नियम एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट <https://mphc.gov.in> एवं जिला न्यायालय मंदसौर की वेबसाइट <https://mandsaur.dcourts.gov.in> तथा एमपी टेंडर पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है, जहां से ई-निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।

क्रं	विवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	26.08.2026 प्रातः 11:00 बजे
2	निविदा की अंतिम तिथि एवं समय	15.09.2026 शाम 05:00 बजे
3	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	16.09.2026 दोपहर 02:00 बजे

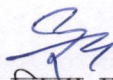
कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंदसौर (म.प्र.)

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर (म.प्र.)

—:: ई-निविदा शर्तें ::—

01. निविदा <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर के नाम से दिनांक **15.09.2026** को शाम 05:00 बजे तक सिर्फ ऑनलाईन मोड में ही प्राप्त की जावेगी। उक्त निविदा दिनांक **16.09.2026** को दोपहर 02:00 बजे जिला न्यायालय में गठित विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
02. निविदाकार, वाणिज्यकर/जी.एस.टी. पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं स्पष्ट करें।
03. टेण्डर शुल्क राशि रुपये **500/-** जी.एस.टी. सहित एवं ई-टेण्डर में दर्शाये अनुसार सुरक्षा निधि की राशि रुपये **7,000/- (E.M.D)** के रूप में वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन निविदा में जमा करनी होगी।
04. कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को होगा।
05. यदि फर्म निर्धारित अवधि में कूलर सप्लाई नहीं कर पाती है तो प्रदायावधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करती है, तो बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी द्वारा क्रयादेश निरस्त किया जा सकता है, उक्त स्थिति में फर्म द्वारा पूर्व में जमा सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।
06. चूंकि यह निविदा वर्ष 2026 में अनुमानित संख्या के अनुसार दर निर्धारण हेतु है अतः यह आवश्यक नहीं होगा कि सफल निविदाकार को सम्पूर्ण सामग्री के क्रय आदेश जारी किये जावेंगे। आवश्यकतानुसार सामग्री की संख्या में से आंशिक सामग्री के क्रय आदेश जारी होने पर भी निविदाकार को सामग्री का प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
07. फर्म को अपने कोटेशन में कूलर हेतु ब्रांड/मॉडल एवं वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जो भी न्यूनतम दर पर सप्लाई कर सकें।
08. क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म को जिला न्यायालय किला रोड़ मंदसौर में कूलर सप्लाई किये जाकर उक्त के देयक की मूल प्रति मय सील एवं हस्ताक्षर के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
09. क्रय की गई सामग्री की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाइट जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालयों) जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
10. सामग्री प्राप्त होने एवं इंस्टालेशन के उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
11. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
12. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
13. उक्त तालिका अनुसार सामग्री कार्यालय में प्राप्त होने के 15 दिवस के पश्चात् ही देयक का भुगतान किया जावेगा, किंतु आहरण एवं भुगतान प्रक्रिया में शासकीय व्यवधानों के कारण विलम्ब भी हो सकता है। विलम्ब के लिए पृथक से अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. सप्लाई किये गये सामग्री में खराबी अथवा शिकायत होने पर उसे संबंधित फर्म द्वारा दुरुस्त/परिवर्तित किया जावेगा।

15. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. आदेशानुसार सामग्री जिला न्यायालय मंदसौर तक पहुँचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
17. निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गयी समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की कांट-छांट मान्य नहीं होगी। निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है।
18. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामग्री का विवरण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट <https://mphc.gov.in> एवं जिला न्यायालय मंदसौर की वेबसाईट <https://mandsaur.dcourts.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
19. शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा एवं सामग्री की दरें समस्त करें सहित दी जायें।
20. निविदा खोलते समय सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोली जायेगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी बिड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय बीड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बीड खोली जायेगी।
21. निविदाओं द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी जायेगी, वह अनुबंध अवधि तक यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
22. प्रत्येक निविदाकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा जिसे वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिध के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव करने पर विचार नहीं किया जावेगा।
23. निविदा स्वीकृति उपरांत क्रय आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा माननीय उच्च न्यायालय से अपेक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जावेगा।
24. अन्य नियम एवं शर्तें जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगी। किसी भी विवाद के निपटारे या नियमों के निर्वचन का अधिकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
25. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित जानकारी हेतु श्री ऋषभ जैन जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट जिला न्यायालय मंदसौर के मोबाईल नम्बर 9752305582 एवं डी.एस.ए. श्री संदीप जैन मो.नं. 9893609974 पर संपर्क किया जा सकता है।

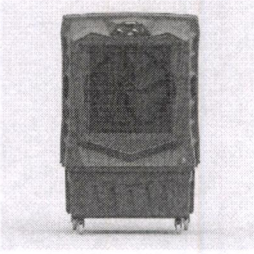

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
१ मंदसौर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

परिशिष्ट -ए
::: सामग्री का विवरण:::

स.क्र.	विवरण	संख्या
1	एयर कूलर (सिम्फनी फायर बॉडी) 105 लीटर पानी टैंक की क्षमता, कम आवाज, रेंज 21 मीटर, 5 वर्ष की वारंटी मोटर पर एवं 02 वर्ष वारंटी पंप पर तथा 01 वर्ष की काम्प्रेसिव वारंटी	20 नग

Note:- Specification off item below :-

	Company- Symphony Model- Air Force 120 Capacity-105 L* Range - 21m (69ft.)	
		

परिशिष्ट-बी
तकनीकी बीड में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1.	ई.एम.डी. रुपये 7000 /- ऑनलाईन	
2.	पेन नम्बर	
3.	आयकर विवरणी	
4.	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन	
5.	ऑनलाईन निविदा फीस 500 /-रुपये जमा की रसीद	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
१ मंदसौर म.प्र.

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (म0प्र0)
// निविदा आवेदन-पत्र //

1	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
2	दूरभाष नंबर/मोबाइल नम्बर	
3	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
4	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजीयन/जीएसटी क्रमांक	
5	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था मंदसौर की अधिकृत संस्था है? यदि हाँ तो विवरण दें।	
6	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
7	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किए जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें।	
8	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक आईएफएससी कोड सहित।	
9	वित्तीय प्रस्ताव (प्रारूप-ए सूची अनुसार भरकर संलग्न करें)	

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर